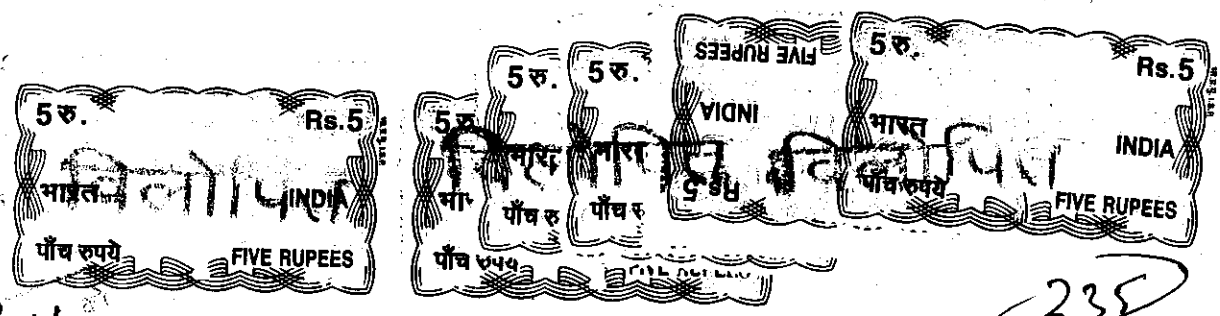

235

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण कमांक /दो./2016

सुखेन्द्र पुत्र रामगोपाल लोधी

ग्राम कलोथरा अब्बल

तहसील करैरा

जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरुद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी

2– तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी

---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 , म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – श्रीमान तहसीलदार, तहसील करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 3/2014–15 अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 10–10–14 के विरुद्ध)

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 3604 –दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
20.10.16	यह निगरानी तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 3/2014–15 अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 10–10–14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी ग्राम कलोथरा ने तहसीलदार करैरा को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आवेदक सुखेन्द्र पुत्र रामगोपाल लोधी ने शासकीय भूमि स्थित ग्राम कलोथरा सर्वे कमांक 124/5/10 रकबा 2.00 हैक्टर के पटटे/ व्यवस्थापन का अमल पटवारी अभिलेख में करा लिया है , जिसका मिलान नहीं हो रहा है इसलिये जॉच करके इनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय। तहसीलदार करैरा ने प्रकरण कमांक 3/2014–15 अ–6–अ पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 10–10–2014 पारित करके अनावेदक कमांक 1 से 21 तक (जिनमें आवेदक सुखेन्द्र पुत्र रामगोपाल लोधी सरल कमांक 15 पर है) के नाम की ग्राम कलोथरा की भूमि सर्वे कमांक 124/5/10 रकबा 2.00 हैक्टर को शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ शासन के पैनल लायर ने आपत्ति की कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 10–10–14 का है जिसके विरूद्ध निगरानी दिनांक	

प्र0क0 3604 –दो/2016 निगरानी

17–10–16 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है इसलिये निगरानी समयवाह्य होने से निरस्त की जाय। आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि निगरानी मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया है जिसमें वर्णित तथ्य सही है इसलिये विलम्ब क्षमा करते हुये मामले का निराकरण गुणदोष पर किया जाय।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के क्रम में तहसीलदार करैरा के आदेश दिनांक 10–10–14 के पैरा 2 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार ने यह आदेश आवेदक के विरूद्व एकपक्षीय पारित किया है जिसके कारण अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सदभावना पर आधारित होने से क्षमा किये जाने योग्य है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से तथा खसरा पंचशाला वर्ष 1990–91 लगायत 1994–95 के कालम नंबर 20 की प्रविष्टि के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि खसरे में तहसीलदार के प्रकरण कमांक 265 अ–19/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 26–10–92 से आवेदक को तत्समय के सर्वे नंबर 124 के रकबे में से 2.00 हैक्टर भूमि का पटटा प्रदान करने की प्रविष्टि है । दायरा रजिस्टर वर्ष 1991–92 की तहसील कार्यालय से जारी प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार दायरे के सरल कमांक 265 पर मद अ–19 में हुये आवेदक के नाम के दायरे के प्रकरण से भी पटटे के प्रकरण का पुष्टिकरण होता है इसी निरन्तरता में खसरा वर्ष 2012–13 तक ग्राम कलोथरा की भूमि सर्वे नंबर 124/5/10 रकबा 2.00 हैक्टर पर आवेदक का नाम निरन्तर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज चला आया है। दायरा रजिस्टर की

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 3604 –दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
	प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियों से सुखेन्द्र पुत्र रामगोपाल लोधी उक्त भूमि का भूमिस्वामी होकर कृषक है। तहसील व्दारा जारी खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि के खण्डन पर अनावेदक के अभिभाषक मौन रहे हैं। ऐसा आभाषित है कि तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 3/2014–15 अ–6–अ में आदेश दिनांक 10–10–14 पारित करते समय उक्त अभिलेखों की अनदेखी की है क्योंकि तहसीलदार ने आवेदक को बचाव में अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर न देते हुये एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश पारित किया है। उक्त अभिलेखों की अनदेखी करते हुये आदेश दिनांक 10–10–14 पारित करते समय तहसीलदार करैरा की क्या शोच रही है अन्दाज लगाया जाना संभव नहीं है, जिसके कारण तहसीलदार करैरा व्दारा पारित आदेश दिनांक 10–10–14 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 6/ खसरा पॅचशाला वर्ष 1991–92 से खसरा वर्ष 2012–13 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ तहसील व्दारा आवेदक की मांग पर जारी की गई हैं। इस सम्बन्ध में म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 में व्यवस्था दी गई है कि :– **"धारा 117** – भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा – भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधाणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। "	

गंभीर सिंह तथा अन्य वि. कल्याण तथा अन्य 2000 रा0नि0 61 में न्यायमूर्ति श्री आर0पी0गुप्ता (हा0को0) ने व्यवस्था दी है कि (यद्यपि राजस्व लेखों की प्रविष्टियां खण्डन करने योग्य हैं परन्तु यदि प्रविष्टि का खण्डन नहीं होता है तो उसके सही होने का अनुमान किया जाये। जब दशकों से निरन्तर प्रविष्टि चली आ रही है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा).

गनी खान वि. अपना वाई 1883 एम0पी0एल0जे0 304 = 1983 रा.नि. 213 उच्च न्यायालय में व्यवस्था दी गई है कि (जब खसरा की प्रतिलिपि उचित रूप से सत्य प्रमाणित हो और नियमानुसार दी गई हो तो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य होगी).

विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है एंव शासन के पैनल लायर प्रस्तुत अभिलेख का खण्डन भी नहीं कर सके हैं । शासकीय अभिलेख अद्यतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का है।

गणेशी लाल जैन विरूद्ध म0प्र0राज्य 2004 रा0नि0 329, A.I.R. 1969 S.C. 1297 तथा 1998(1) M.P.W.N. 26 के न्याय दृष्टांत हैं कि संबत 2007 (सन 1950) से महिला सरवती वाई का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित होकर 1961 तक भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा। आवेदिका भूमिस्वामी है। भूमि आवेदक के स्वत्व एंव आधिपत्य की मानी गई।

उपरोक्त कारणों से आवेदक व्दारा प्रस्तुत अभिलेख पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है और इन्हीं कारणों से तहसीलदार करैरा

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 3604 –दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार, तथा अभिभाषकों के ह
	जिला शिवपुरी व्दारा प्र0क0 3/2014–15 अ–6–अ में आदेश दि0 10–10–14 पारित करते समय मूल अभिलेख की अनदेखी करना प्रतीत हुआ है जिसके कारण तहसीलदार का आदेश दिनांक 10–10–14 आवेदक के हित तक स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 7/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वर्ष 1992 में भूमि पटटे पर प्राप्त करने के उपरांत कब्जा प्राप्ति के बाद से आवेदक ने वादग्रस्त भूमि को उबड़–खाबड़ से समतल बनाया है जिसमें काफी मेहनत की गई है। सिंचाई साधन बनाने में बहुत सारा धन खर्च किया है, यदि वर्ष 1992 में दी गई भूमि उनसे वर्ष 2016 में (24 वर्ष वाद) वापिस ली जाती है तब आवेदक को परिवार का पालन–पोषण करना मुश्किल हो जावेगा, क्योंकि आवेदक पिछड़े वर्ग की जाति का होकर लघु कृषक है । यदि आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय – 1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। 2. देवी प्रसाद विरूद्ध नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975	

प्र0क0 3604 –दो/2016 निगरानी

R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त । तत्पश्चात् आवन्टन रद्ध नहीं किया जा सकता।

विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 3/2014–15 अ–6–अ में आदेश दिनांक 10–10–14 पारित करते समय आवेदक को सुनवाई हेतु आहुत नहीं किया है एंव अभिलेख प्रस्तुत करने/बचाव प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है तथा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये वादग्रस्त भूमि शासकीय अंकित करने की त्रृटि की है जिसके कारण आवेदक को व्यर्थ मुकदमेवाजी में उलझलना पड़ा है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 3/2014–15 अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 10–10–14 त्रृटिपूर्ण होने से केवल आवेदक के हित तक के भाग को निरस्त करते हुये शेष भाग को यथावत् रखा जाता है तथा तहसीलदार करैरा को आदेश दिये जाते हैं कि शासकीय अंकित कर दी गई ग्राम कलोथरा की भूमि सर्वे कमांक 124/5/10 रकबा 2.00 हैक्टर पर चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में आवेदक सुखेन्द्र पुत्र रामगोपाल लोधी के नाम की प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में अंकित करावें।

सदस्य